रजिस्ट्री सं. डी॰ (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 27, 1985/फाल्गुन 8, 1906
No. 77] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEB. 27, 1985/PHALGUNA 8, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1985

सा. का. नि. 105(अ).—संविधान के अनुच्छेद 299 के खण्ड (1) के साथ पठित अनुच्छेद 77 के खण्ड (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा, विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) निष्पादन तथा अधिप्रमाणन नियम, 1983 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :—

1. (i) इन नियमों को विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) निष्पादन तथा अधिप्रमाणन (संशोधन) नियम, 1985 कहा जाएगा ।

(2) ये नियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. विकास करार (अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष) निष्पादन तथा अधिप्रमाणन नियम, 1983 के नियम 2 के खण्ड (क) में "श्री पी. के. कौल" शब्दों के स्थान पर "श्री एस. वेंकिटरमणन" शब्दों को रखा जाएगा ।

[एफ. संख्या 1/7/82-एफ.बी.-1]

वी. के. शुंगलू, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th February, 1985

G.S.R. 105(E).—In exercise of the powers conferred by clause (2) of article 77, read with clause (1) of article 299, of the Constitution, the President is pleased to make the following Rules further to amend the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication Rules, 1983, namely —

1 (i) These rules may be called the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication (Amendment— Rules, 1985.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In rule 2 of the Development Agreements (International Monetary Fund) Execution and Authentication Rules, 1983, in clause (a), for the words "Shri P. K. Kaul", the words "Shri S. Venkitaramanan" shall be substituted.

[F. No. 1|7|82 FB-I]

V. K. SHUNGLU, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985